प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 20.03.2025

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चोरी व छिनैती की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाईकिल व छीने गये 02 मोबाईल फोन बरामद ।

दिनांक 19.03.2025 को थाना अंकुर विहार पर एक वादी द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 19.03.2025 को अज्ञात चोर द्वारा मेरी मोटरसाईकिल चोरी कर ली गयी है तथा एक अन्य वादी द्वारा तहरीर दी गई कि एक मोटर साईकिल पर सवार 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मेरा मोबाईल फोन छीन लिया गया है । इस सूचना पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल मोटर साईकिल चोरी व मोबाईल फोन छीनने के सम्बन्ध में धारा 303(2) बीएनएस व धारा 304(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किये गये तथा घटनाओं के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 20.03.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान चोरी व छिनैती की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तगण 1. निशान्त उर्फ करांटें पुत्र रामप्रकाश निवासी अंजली विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष 2. रामराज उर्फ राज पुत्र सतीश कुमार निवासी विकासनगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष को गढ़ी कटैया गांव के पास थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की मोटर साईकिल तथा छीना गया मोबाईल फोन बरामद हुआ तथा एक अन्य घटना से सम्बन्धित 01 मोबाईल फोन बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2)/3(5) बीएनएस की वृद्धि की गई तथा एक अन्य घटना से सम्बन्धित मोबाईल बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण उपरोक्त ने बताया कि साहब हम दोनों मिलकर दिल्ली व गाजियाबाद में अलग-अगल स्थानों से मोटर साईकिल चुरा लेते है तथा उन्हीं मोटर साईकिलों का इस्तेमाल करके आने जाने वाले राहगीरो से मोबाईल फोन छीन लेते है तथा इन चोरी व छीने गये सामान को बेचकर अपने शौक पूरे करते हैं। इनमें से एक मोबाईल फोन हमने लगभग 10 दिन पहले कच्ची खजूरी दिल्ली से एक राह चलते व्यक्ति से छीना था तथा यह दूसरा मोबाईल फोन कल ही हम दोनो ने मिलकर पुरानी नगर पालिका खन्ना नगर के सामने से एक राह चलते व्यक्ति से इसी चोरी की गयी मोटर साइकिल का प्रयोग करके छीना था और ये मोटर साईकिल भी हम दोनो ने मिलकर कल ही डीएलएफ क्षेत्र से चोरी की थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता –

1. निशान्त उर्फ करांटें पुत्र रामप्रकाश निवासी अंजली विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष
2. रामराज उर्फ राज पुत्र सतीश कुमार निवासी विकासनगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष

बरामदगी का विवरण

1. 02 छीने गये मोबाइल फोन
2. 01 चोरी की मोटर साइकिल

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

1. अभियुक्त निशान्त उर्फ कराटे उपरोक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर चोरी, लूट व बरामदगी के 03 अभियोग तथा बरामदगी व आयुध अधिनियम के 03 अभियोग थाना लोनी पर पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
2. अभियुक्त रामराज उर्फ राज उपरोक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर चोरी, लूट व बरामदगी के 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की घटना में प्रयुक्त एक ट्रैक्टर व चोरी किये गये ट्रैक्टर को बेचे गये रुपयो में से शेष 4260/- रुपये बरामद।

दिनांक 27.02.2025 को थाना वेवसिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि किसी अज्ञात चोर द्वारा वादी का ट्रैक्टर चोरी कर लिया गया है। जिसके सम्बन्ध में तत्काल प्राप्त तहरीर पर थाना वेवसिटी पर सुसंगत धारा 303(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 19.03.2025 को थाना वेवसिटी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त कामिल पुत्र मकसूद निवासी ग्राम देहरा थाना धौलाना जिला हापुड उम्र 35 वर्ष को सादतनगर इकला बिजलीघर के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की घटना में प्रयुक्त किये गये ट्रैक्टर एवं चोरी किये गये ट्रैक्टर को बेचे गये रुपयो में से शेष 4260/- रुपये बरामद किये गये। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण:-</u> पूछताछ पर अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 26.02.2025 को रात्रि समय करीब 01.30 बजे मैं अपने साथी फरियाद के साथ एक ट्रैक्टर से ग्राम दीनानाथपुर पूठी आया था और पूठी हसनपुर रोड़ पर एक प्लाट से मौका पाकर एक ट्रैक्टर मय ट्राली के चोरी कर लिया था। उसके बाद चोरी किये गये ट्रैक्टर ट्राली को हम अपने गाँव देहरा ले गये थे। वहाँ मैंने अपने अन्य साथी रिजवान उर्फ कत्था पुत्र कय्यूम व फरियाद को चोरी किये गये ट्रैक्टर ट्राली को बेचने के लिए दे दिया था फिर हमारे अन्य साथी आरिफ ने चोरी किये गये ट्रैक्टर ट्राली को नोएडा ले जाकर फैजू पुत्र नन्हे को 60,000 रुपये में बेच दिया था। ट्रैक्टर ट्राली को बेचकर मिले 60,000 रुपयों को रिजवान उर्फ कत्था, फरियाद, आरिफ और मैंने आपस में बराबर बराबर बांट लिया था। मेरे हिस्से में 15,000 रुपये आये थे। ये 4260 रुपये जो आज आपको मुझसे मिले है यह उन्ही 15000 रुपयो में से बचे रुपये है बाकी रुपयो को मैने अपने शौक नशा आदि में खर्च कर दिया है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-</u>

कामिल पुत्र मकसूद निवासी ग्राम देहरा थाना धौलाना जिला हापुड उम्र 35 वर्ष

<u>आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-</u>

अभियुक्त कामिल उपरोक्त के विरुद्ध थाना वेवसिटी पर 01 अभियोग चोरी का तथा थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग हत्या का तथा थाना मसूरी पर 01 अभियोग चोरी का पंजीकृत है तथा जनपद हापुड़ में भी 05 अभियोग आयुध अधिनियम व हत्या के प्रयास का 01 अभियोग एवं झगड़े का 01 अभियोग पंजीकृत हैं, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>बरामदगी का विवरण:-</u>

चोरी की घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर एवं चोरी किये गये ट्रैक्टर को बेचे गये रुपयो में से शेष 4260 रुपये नकद बरामद।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम:-</u>

थाना वेव सिटी पुलिस टीम

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 1100 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

दिनांक 20-3-2025 को चेकिंग के दौरान थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा नगर निगम मैदान के पास से मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 1100 ग्राम अवैध गांजा बरामद। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार किये गये अभियुक्त सन्नी उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं यह गांजा मोहननगर बस अड्डे के पास से एक व्यक्ति से लेकर आता हूँ उसका नाम पता मालूम नही है और न ही वह अपना नाम बताता है। मै यह गांजा पुडिया बनाकर मुनाफा कमाने के लिए राह चलते लोगो को बेच देता हूँ, जिससे मैं अपना शौक पूरा करता हूँ।

अभियुक्त का नाम व पता-

सन्नी पुत्र चन्द्र किरण म0न0-893 गली नं0-10 चालीस फुटा रोड दीनदयालपुरी नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र- 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

1100 ग्राम गांजा बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 16/02/25 को वादी श्री जश्नराज पंचोली पुत्र शिवा पंचोली निवासी म0न0 216 राधा कुंज 2 नन्दग्राम ने सूचना दी कि मेरी मोटर साइकिल हीरो स्पेलेन्डर रजि0न0 UP 14 EB 0408 मेरे घर के बाहर से अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर ली गयी है। उक्त सूचना पर तत्काला थाना नन्दग्राम पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमो का गठन कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों व लोकल इनपुट की मदद से दिनांक 20.03.2025 को मुखबिर की सूचना पर चैंकिंग के दौरान 02 अभियुक्तगण को नगर निगम मैदान नन्दग्राम के पास से चोरी की मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-- गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण दीपक व बाबू उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि हम दोनो नशे के आदि है, अपना नशे का शौक पूरा करने के लिए चोरी,जैसे अपराध कारित करते है।

अभियुक्तण का नाम व पता—

1. दीपक पुत्र बाबू निवासी गली नं0-3 आश्रम रोड नन्दग्राम थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र-24 वर्ष
2. भोला पुत्र भागीरथ निवासी गली नं0-2 आश्रम रोड नन्दग्राम थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र-25 वर्ष

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

1.अभियुक्त दीपक उपरोक्त के विरुद्ध थाना सिहानी गेट पर 01 लूट का अभियोग, 01 आर्म्स एक्ट का अभियोग व थाना नन्दग्राम पर 01 चोरी का अभियोक कुल 03 अभियोग पंजीकृत है।
2.अभियुक्त भोला उपरोक्त के विरुद्ध थाना नन्दग्राम पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण—

चोरी की मोटर साइकिल रजि नं0 UP 14 EB 0408 (SPLENDOR)

गिरफ्तारी करने वाली टीम--

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

थाना साइबर क्राइम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार। करीब 3 लाख रूपये रिफण्ड, विभिन्न राज्यों की 28 घटनाओं का खुलासा।

थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा साइबर अपराध करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के सदस्य अभियुक्त बाबू अली पुत्र स्व0 अख्तर हुसैन निवासी ग्राम दोलरा पोस्ट दौलारा थाना मूढापाण्डे जिला मुरादाबाद उम्र – 38 वर्ष शिक्षा, M.A. Ph.D. को साइबर अपराध में प्रयुक्त मोबाइल फोन के साथ थाना क्षेत्र विजय नगर गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 03.06.2024 को श्री अरुण मेहता के साथ शेयर स्टाक ट्रेडिंग फ्रॉड की घटना हुई, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप AVIVAINVESTOR SM6 में जोड़ा गया तथा लिंक भेजकर गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद फर्जी शेयर ट्रेडिंग एप AVIVAFTSE में अकाउन्ट खुलवाकर निवेश के बहाने दिनांक 11.06.2024 से दिनांक 11.06.2024 तक कुल 7 लाख 96 हजार रूपये भिन्न-2 खातों में ट्रांसफर कराकर ठगी की गई। उक्त घटना के सम्बन्ध में श्री अरुण मेहता द्वारा दिनांक 19.07.2024 को थाना साइबर क्राइम पर अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसमें 3 लाख रुपये रिफण्ड कराये गये हैं।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि उनका एक गैंग है, इस गैंग के सदस्य लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोडकर, लिंक भेजकर फर्जी शेयर ट्रेडिंग एप AVIVAFTSE में एकाउन्ट खुलवाकर निवेश के बहाने भिन्न-2 खातों में रुपये ट्रांसफर कराकर साइबर फ्रॉड की घटना करते हैं।

पूछताछ पर आगे बताया कि इस गैंग के इकबाल चौधरी निवासी दिल्ली, अखिलेश निवासी आरा बिहार एवं आफताब आलम उर्फ अरशद निवासी मधुबनी बिहार साइबर फ्रॉड हेतु विदेश में बैठे फ्रॉडस्टर्स को बैंक खाते उपलब्ध कराते हैं। बदले में इन लोगों को ट्रांजेक्शन के हिसाब से कमीशन मिलती है। अभियुक्त से भी बैंक खाता लेकर इन लोगों ने फ्रॉड में इस खाते का प्रयोग किया था। अभियुक्त के खाते में कुल 2 करोड़ 10 लाख रुपये साइबर फ्रॉड कर ट्रांसफर किये गये थे। जिसके बदले में अभियुक्त को 30 लाख रुपये कमीशन मिलना था जिसमें से 35 हजार रुपये प्राप्त हुए थे।

स्टाक शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड हेतु उपयोग में लाये गये मोबाइल एप की डिटेल गूगल से प्राप्त की गई तो यह एप बांग्लादेश से क्रिएट किया जाना ज्ञात हुआ, फ्रॉड की घटना में लिप्त होने के कारण गूगल द्वारा इस एप को बैन कर दिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विदेश से लिंक के सम्बन्ध में जाँच जारी है।

इस गैंग के द्वारा की गई साइबर फ्रॉड की 14 राज्यों के विभिन्न जिलों की 28 घटनाओं का खुलासा हुआ है जिनमें करीब 8 करोड़ रुपये की साइबर ठगी हुई है। जिसका विवरण इस प्रकार है -

आन्ध्रप्रदेश राज्य के Eluru & SRIKAKULAM जिले की 2, आसाम राज्य के GUWAHATI CENTRAL जिले की 1, बिहार राज्य के SIWAN जिले की 1, दिल्ली राज्य के EAST DELHI जिले की 1, गुजरात राज्य के BHARUCH जिले की 1, हरियाणा राज्य के GURUGRAM & CHARKHI DADRI जिले की 2, झारखण्ड राज्य के DHANBAD & RANCHI जिले की 2, कर्नाटका राज्य के SHIVAMOGGA, DAVANAGERE, HUGLY-DHARWAD CITY जिले की 6, केरल राज्य के TIRUVANANTHAPURAM जिले की 1, मध्यप्रदेश राज्य के INDORE जिले की 1, महाराष्ट्र राज्य के BRIHAN, NAVI MUMBAI & THANE जिले की 3, राजस्थान राज्य के CHURU जिले की 1, तमिलनाडु राज्य के VIRUDHUNAGAR जिले की 1, तेलंगाना राज्य के MAHABUBNAGAR & CYBERABAD जिले की 3, उत्तर प्रदेश राज्य के MATHURA जिले की 1 , इस प्रकार कुल 27 अन्य साइबर फ्राड की घटनाओं को इस गैंग के द्वारा अंजाम दिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

बाबू अली पुत्र स्व0 अख्तर हुसैन निवासी ग्राम दोलरा पोस्ट दौलारा थाना मूढापाण्डे जिला मुरादाबाद उम्र – 38 वर्ष शिक्षा, M.A. Ph.D.

बरामदगी का विवरण –

घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन,

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा दो पहिया वाहन चोरी करने व मोबाइल फोन छिनैती की घटना कारित करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल व छिनैती के मोबाइल फोन बेचकर प्राप्त 3300/- रुपये नगद बरामद।

दिनांक 21.02.2025 को थाना शालीमार गार्डन पर वादी सिदेश्वर जीना निवासी प्लांट नं0- एस 13, फ्लैट नं0- एस एफ 01 शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि मेरे घर के पास बनी पार्किंग से अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरी मोटर साइकिल को चोरी कर लिया गया है। तत्काल थाना शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा धारा 303(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया। मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर आज दिनांक 20.03.2025 को उक्त घटना को कारित करने वाले 02 शातिर अभियुक्त 1. अजीत पुत्र राम सिंह निवासी मो0 कुटी, कृष्णा विहार भोपुरा गाजियाबाद मूल पता ग्राम खपेटा थाना पिलुआ जिला एटा उम्र करीब 21 वर्ष, 2. रोहित पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम जावली थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष को डीएवी स्कूल कट राजेन्द्र नगर सैक्टर 02 के पास थाना शालीमार गार्डन से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल व छिनैती के मोबाइल

फोन बेचकर प्राप्त 3300/- रुपये नगद बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त अजीत व रोहित के विरुद्ध पूर्व में पंजीकृत अभियोग की धारा में 317(2),3(5) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त अजीत व रोहित से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि ये दोनों अभियुक्त अलग-अलग स्थान से दो पहिया वाहन चोरी करते है तथा उसी वाहन से मोबाइल फोन छिनैती की घटना कारित करते है और कुछ दूर जाकर चोरी किये गये वाहन को रास्ते में छोड़कर चले जाते है। दोनों अभियुक्त अजीत व रोहित ने मिलकर कुछ दिन पहले शालीमार गार्डन क्षेत्र से राह चलते व्यक्तियों से 02 मोबाइल फोन छीने थे। ये अभियुक्त छीने गये मोबाइल फोन को राह चलते व्यक्तियों को अपनी मजबूरी बताकर सस्ते दामों में बैच देते है। दोनों अभियुक्तों से बरामद उक्त मोटर साइकिल को दिनांक 14.03.2025 को दयानंद पार्क के पास से चोरी किया था। आज दिनांक 20.03.2025 को दोनों अभियुक्त डीएवी स्कूल कट राजेन्द्र नगर सैक्टर 02 के पास उक्त चोरी की मोटर साइकिल से मोबाइल फोन छिनैती की घटना करने के फिराक में खड़े थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. अजीत पुत्र राम सिंह निवासी मो0 कुटी, कृष्णा विहार भोपुरा गाजियाबाद मूल पता ग्राम खपेटा थाना पिलुआ जिला एटा उम्र करीब 21 वर्ष।
2. रोहित पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम जावली थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त अजीत व रोहित के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर चोरी के 01 अभियोग व छिनैती के 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरणः-

- चोरी की 01 मोटर साइकिल व छिनैती के मोबाइल फोन बेचकर प्राप्त 3300/- रुपये नगद बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।